न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 74/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. हरलालसिंह पुत्र बद्रीनारायण जाति जाट निवासी माजीसाहब की ढाणी, पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —प्रार्थी

ब ना म

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीनारायण जाति जाट निवासी माजीसाहब की ढाणी, पलसाना तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।
4. नायब तहसीलदार पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्ग धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति—

1. **श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थी ओर सें।**

नि र्ण य दिनांक — 17.12.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 203 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 204 रकबा 1.35 है0, ख0नं0 205 रकबा 2.47 है0, ख0नं0 212/4585 रकबा 0.01 है0 (गै0मु0चाह) ख0नं0 213 रकबा 2.36 है0, ख0नं0 214 रकबा 0.59 है0,ख0नं0 217 रकबा 0.79 है0, ख0नं0 218 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 219 रकबा 0.96 है0 कितस 10 कुल रकबा 12.36 है0 अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का कुल हिस्सा 11/60 का खातेदार काबिज काश्तकार रहा है तथा अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/15 है। उसके स्थान पर अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/5 दर्ज आ रहा है तथा अनावेदक संख्या 1 ने उक्त 1/5 हिस्से पर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक से ऋण ले रखा है जिसका रहन का नोट भी दर्ज है। उक्त भूमियों में आवेदक का कुल हिस्सा 11/60 होता है तथा आवेदक जमाबंदी संवत 2070 सें 2073 तक 11/60 हिस्सा का जमाबंदी में दर्ज खातेदार काश्तकार रहा है तथा वर्तमान में अपने 11/60 हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन संवत 2073 क पश्चात बनी जमाबंदी में आवेदक का हिस्सा लिपिकीय भूल सें 1/20 दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में आवेदक हरलाल का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

2/15 कम है तथा अनावेदक संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह के उक्त 2/15 हिस्सा अधिक आ रहा है इसलिए आवेदक अनावेदक अधिक अंकन अपने हिस्से 2/15 को अनावेदक के हिस्से में से कम करवा कर अपने हिस्से में अंकन करवाकर अपना हिस्सा संशोधन करवाने का अधिकारी है। आवेदक अपने हिस्से की 2/15 हिस्सा की कृषि भूमि जो अनावेदक संख्या 1 के नाम से लिपिकीय भूलवश दर्ज हुई है को वापस अपने नाम सें अंकन करवाकर खाता संशोधन करवाने तथा आवेदक के 2/15 हिस्से पर अनावेदक संख्या 2 का जो रहन का नोट लगा है उसें रहनमुक्त करवाने का अधिकारी है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर अनावेदक संख्या 4 को आदेशित किया जावे कि विवादित कृषि भूमि जिसका 2/15 भाग अनावेदक संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया है को अनावेदक संख्या 1 के हिस्से सें कम करके उक्त 2/15 हिस्सा आवेदक के हिस्से में जोड़कर संशोधन किया जावे तथा आवेदक द्वारा यह निवेदन है कि अनावेदक संख्या 1 ने अपने हिस्से के साथ प्रार्थी के उक्त 2/15 हिस्सा पर भी अनावेदक संख्या 2 के यहां से ऋण प्राप्त कर लिया है जिसको रहन मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रर्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसके अनुसार " ग्राम पलसाना के खसरा नम्बर 203 सें 205, 212/4585, 212 सें 214, 217 सें 219 किता 10 कुल रकबा 12.36 हैक्टेयर की जांच की गई जमाबंदी संवत 2062–65 में उक्त खसरों में सुरेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीनारायण का हिस्सा 1/15 दर्ज था लेकिन संवत 2066–69 में हिस्सा 1/5 दर्ज हो गया है। नामां0 संख्या 3511 सें श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा BRKGB शाखा पलसाना से ऋण लेकर रहन दर्ज करवा लिया गया उक्त हिस्सा हरलालसिंह के हिस्से में लिपिकीय त्रुटि सें कम हुआ है लेकिन भूमि पर सुरेन्द्रसिंह द्वारा अकि हिस्से से ऋण लेकर रहन दर्ज करवाने में गलती की है। अतः उक्त अशुद्धि को लिपिकीय त्रुटि होने से बैंक की सहमति पर शुद्ध किया जाना उचित है।" प्रार्थी की ओर सें बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें अंकन है कि सुरेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीनारायण ने समस्त ऋण चुका

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

दिया है अतः भूमि खसरा नम्बर 203 सें 205, 212/4585, 212 सें 214, 217 सें 219 किता 10 कुल रकबा 12.36 हैक्टेयर को बैंक के पक्ष में रहनमुक्त किया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट सें स्पष्ट है कि प्रार्थी हरलालसिंह के हिस्से से 2/15 हिस्सा भूमि कम दर्ज हुई है जो लिपिकीय त्रुटि है तथा इस संबंध में अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह द्वारा ऋण चुका दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी का हिस्सा 11/60 के स्थान पर संहवन सें 1/20 दर्ज हुआ है जो 2/15 भाग कम है। प्रार्थी की भूमि जिसका 2/15 भाग अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया है को अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से सें कम करके उसें प्रार्थी के हिस्से में जोड़ा जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 203 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 204 रकबा 1.35 है0, ख0नं0 205 रकबा 2.47 है0, ख0नं0 212/4585 रकबा 0.01 है0 (गै0मु0चाह) ख0नं0 213 रकबा 2.36 है0, ख0नं0 214 रकबा 0.59 है0,ख0नं0 217 रकबा 0.79 है0, ख0नं0 218 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 219 रकबा 0.96 है0 कितस 10 कुल रकबा 12.36 है0 में खातेदार हरलालसिंह पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/20 के स्थान पर हरलालसिंह पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 11/60 तथा सुरेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/5 के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/15 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner